न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 13/अपील/2022 (GCMS No. 2022/25)	22.02.2022	29.10.2024

1. गफ्फार मोहम्मद आ. सुभान खां जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. पीर मोहम्मद आ. फखरूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
3. गफूर उर्फ पप्पू आ. फखरूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
4. जाकिर आ. फखरूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
5. मेहमूना पुत्री फखरूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
6. हुसैनी बानो पुत्री फखरूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
7. भूरी बाई बेवा फखरूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
8. गुड्डी पत्नी युसूफ जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

— अपीलांटस

बनाम

1. चांद खां आ. कमरूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. इन्साफ आ. कमरूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
3. शकूर आ. कमरूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
4. नूर बानो पुत्री कमरूद्दीन पत्नी बहादुर जाति मुसलमान, निवासी काला तालाब चन्द्रेसल रोड, तह. लाडपुरा, जिला कोटा

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

5. सकूरी पुत्री कमरूद्दीन पत्नी सलीम मोहम्मद मुसलमान, निवासी काला तालाब बडे मन्दिर के पास,तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. कल्लो बाई पुत्री कमरूद्दीन पत्नी मोहम्मद जेड जाति मुसलमान, निवासी पुरानी जामा मस्जिद के सामने, इमाम चौक, जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी
7. धापू पत्नी फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
8. मेहबूब पुत्र फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी ग्राम खेरोली, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
9. तहसीलदार, तालेडा
10. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय तालेडा, जिला बून्दी।

– रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री नवेद केसर, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 2 से 8 लगायत के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पो. सं. 9 व 10 की ओर से श्री पैरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 35 दिनांक 26.03.1969 (वास्तविक दिनांक 04.04.1981) ग्राम खेरोली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से आवंटी कमरूद्दीन पुत्र सुभान खां को आवंटित भूमि पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 13/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/25 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं. 1 द्वारा दिनांक 19.12.2022 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या पुराना 49 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा वाकेग्राम खेरोली तहसील तालेडा में से 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलांट सं.1 एवं अपीलांट सं.2 लगायत 8 के पिता/पति/ससुर स्व.फखरूद्दीन आ. सुभान खां ने संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा द्वारकादास आ. मथुरादास जाति गुजराती ब्राहमण ग्राम खेरोली से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जो खरीद के समय से बदस्तुर जारी है और वर्तमान में भी अपीलांटस अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि पुराने खसरा सं. 49 के नये खसरा सं. 126 रकबा 1.2383 हैक्टेयर जमाबंदी रेस्पो. का नाम बतौर खातेदार दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा रेस्पो. के पिता स्व.कमरूद्दीन से मिलीभगत कर दर्ज करवाया गया। तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त गैर कानूनी इन्तकाल खोले जाने से पूर्व न तो अपीलांटस को सूचित किया गया और न ही उन्है सबूत या दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया। अपीलांटस को सुने बिना ही उक्त विवादित एवं गैर कानूनी इन्तकाल खोला गया, जो निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। रेस्पोडेंट के द्वारा आये दिन अपीलांटस सं.1 गफ्फार व 2 लगायत 8 से लगातार जमीन छोडने और जमीन पर कब्जा पर अपीलांटस को बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलांटस ने राजस्व रेकार्ड लेने के लिए आवेदन पत्र दिनांक 19.01.22 को पेश किया, दिनांक 21.01.22 को नकलें प्राप्त हुई। तब उन्हें पता लगा कि उनकी खरीदशुदा भूमि पर रेस्पोडेंटस का नाम दर्ज हो चुका है। कानूनी जानकारी न होने तथा अन्य सबूत हासिल करने और विधिक जानकारी लेने के बाद अपीलांटस यह अपील पेश कर रहें। चूंकि दिनांक 19.02.22 को शनिवार का अवकाश एवं दिनांक 20.02.22 का रविवार का अवकाश होने से न्यायालय में छुट्टी रहने के कारण अपीलांटस द्वारा दिनांक 21.02.22 को अपील अन्दर मियाद पेश की गई। दिनांक 21.01.22 से अपील पेश होने तक तथा दिनांक 19.2.22 व 20.02.22 की अवधि को मियाद शाामिल करते हुये मियाद मुजरा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं अपीलांट सं.1 एवं 2 लगायत 8 का नाम रजिस्टर्ड बेचान से भूमि खरीद करने वाले के वारिसान होने से बतौर खातेदार इन्द्राज करने का आदेश प्रदान करने का निवदेन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 04.04.1981 की जानकारी दिनांक 19.01.2022 को होने पर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 21.01.2022 को नकल प्राप्त होने पर दिनांक 21.02.2022 को अपील प्रस्तुत किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपीलांटस द्वारा वादग्रस्त आराजी उनके द्वारा खरीद करना बताया है तो ऐसे में उनको 40 वर्षो तक खरीदी गई भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की जानकारी करने की जरूरत नहीं पडी हो, यह तथ्य कतई विश्वसनीय है, जबकि अपीलांटस को उक्त आराजी रेस्पोडेंट के पिता कमरूद्दीन के नाम तथा उनके बाद रेस्पोडेंटस के नाम बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड होकर मौके पर खातेदारान के काबिज काश्त होने की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। दूसरी तरफ अपीलांटस ने अपील में रेस्पो. द्वारा आये दिन बेदखल करने की धमकी देने का तथ्य अंकित किया तो भूमि उनके नाम पर होने की जानकारी हो जाने के बाद भी दिनांक 19.01.22 को ही नकल हेतु आवेदन क्यों किया गया, इसके अतिरिक्त दिनांक 21.01.22 को नकल प्राप्त हो जाने के बाद भी 28 दिन तक अपील पेश नहीं किये जाने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया, केवल 19.02.22 को शनिवार का अवकाश एवं दिनांक 20.02.22 का रविवार का अवकाश होने अर्थात् मात्र 2 दिन का कारण अंकित किया है, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना जरूरी है। अतः अपीलांट द्वारा 40 वर्ष बाद पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने कानूनन मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि अपील विषयक आराजी सिलिंग सरप्लस से अधिग्रहित होकर खातेदार सरकार की भूमि थी, उक्त राजकीय सिवायचक भूमि कमरूद्दीन को दिनांक 11.12.76 को आवंटन हुई थी। जिसके बाद उक्त आवंटित भूमि खसरा सं. 126 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा का कब्जा आवंटी कमरूद्दीन को संभलाया जाकर उसकी गैर खातेदारी में नामान्तरकरण सं. 35 दिनांक 04.04.1981 से दर्ज की गई। अपीलांटस का उक्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त सम्पूर्ण भूमि आवंटन से लेकर आज तक रेस्पो. के कब्जा काश्त एवं खातेदारी में है। अपीलांटस द्वारा खसरा संख्या 49 में से भूमि द्वारकादास आ. मथुरादास जाति गुजराती ब्राहमण ग्राम खेरोली से वर्ष 1969 में खरीद करना बताया है जबकि सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि को बेचान करने का द्वारकादास को कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार अपीलांटस अपीलाधीन नामान्तरकरण से पीड़ित पक्षकार नहीं है और यदि अपीलांटस रेस्पोंडेंटस के खाते की उक्त कृषि भूमि पर अपना हक अधिकार मानते है तो अपीलांट को अपने हक अधिकारों की घोषणा नियमित राजस्व वाद के माध्यम से करवानी चाहिए। रेस्पो. को प्राप्त खातेदारी अधिकार को सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। यहां गैर खातेदारी के नामान्तरकरण सं.35 के विरूद्ध पेश की गई संक्षिप्त कार्यवाही की अपील में खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपील विधिविरूद्ध होने से चलने योग्य नहीं है। वकील रेस्पो.सं. 1 द्वारा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांटस द्वारा पुराने खसरा संख्या 49 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा वाकेग्राम खेरोली तहसील तालेडा में से 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा द्वारकादास आ. मथुरादास जाति गुजराती ब्राहमण ग्राम खेरोली से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया जाना अंकित करते हुऐ उक्त भूमि के नये खसरा सं. 126 रकबा 1.2383 हैक्टेयर रेस्पो. के पिता कमरूद्दीन की गैर खातेदारी में दर्ज करने वाले नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 04.04.1981 वाकेग्राम खेरोली को निरस्त किये जाने हेतु यह अपील पेश की गई है।

अपील का परीक्षण का सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 04.04.1981 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांटस द्वारा दिनांक 21.02.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.01.22 को होना तथा दिनांक 21.01.22 को नकलें प्राप्त होना अंकित किया है। साथ ही प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि अपीलांटस की खरीदशुदा भूमि पर रेस्पोडेंटस का नाम दर्ज हो जाने की जानकारी होने पर कानूनी जानकारी न होने तथा अन्य सबूत हासिल करने और विधिक जानकारी लेने के बाद दिनांक 19.02.22 को शनिवार एवं दिनांक 20.02.22 को रविवार का अवकाश होने से न्यायालय में छुट्‌टी रहने के कारण अपीलांटस द्वारा दिनांक 21.02.22 को अपील अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांटस ने उक्त आराजी उनके द्वारा खातेदार द्वारकादास से वर्ष 1969 में खरीद करना बताया है। केता द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि पर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाये जाने की कार्यवाही करना सामान्य प्रकिया है। ऐसे में 40 वर्षो तक अपीलांटस द्वारा कयशुदा उक्त भूमि पर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाये जाने हेतु राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं की गई हो, यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है, जबकि किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही खातेदारों को प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा दिनांक 19.01.2022 से पूर्व अपील विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं रहने का कोई कारण नहीं बताया गया। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

इस प्रकार अपीलांटस के प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से भलीभांति प्रकट है कि प्रार्थना पत्र में अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांटस मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)